भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 346

बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-कुसुम के तहत लगाए गए सौर पंप</u>

346. श्री अ. मनिः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के अंतर्गत अब तक राज्य-वार कितने सौर पंप लगाए गए हैं;

(ख) पीएम-कुसुम के अंतर्गत कितने सौर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा अब तक कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(ग) पीएम-कुसुम के अंतर्गत सौर पंप लगाने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गयी है तथा प्रत्येक राज्य में उपयोग की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाने के लिए लाभार्थियों का चयन करने हेतु कौन से मानदंड अपनाए जा रहे हैं तथा मंत्रालय किस तरीके से यह सुनिश्चित करता है कि छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाए; और

(च) क्या अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने अथवा सौर पंप लगाने की क्षमता बढ़ाने के लिए पीएम-कुसुम का विस्तार करने की कोई योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): पीएम-कुसुम एक मांग आधारित योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है। राज्यों द्वारा की गई मांग के अनुसार, योजना के घटक ख के अंतर्गत कुल 13,02,327 सौर पंप आवंटित किए गए हैं। राज्यों ने 9.7 लाख से अधिक आवंटन पत्र जारी किए हैं, जिनमें से दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार 5,40,499 सौर पंप स्थापित किए गए हैं।

राज्य-वार प्रतिशत उपलब्धियाँ अनुलग्नक-**I** में दी गई हैं।

(ग) योजना के अंतर्गत निधियों को राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) द्वारा रिपोर्ट की गई स्थापना की प्रगति और योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जारी किया जाता है।

योजना के घटक ख के अंतर्गत सौर पंप स्थापनाओं के लिए बजटीय आवंटन 11,438 करोड़ रु. है जिसमें से दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार 33 प्रतिशत उपयोग किया जा चुका है।

योजना के अंतर्गत सौर पंप स्थापनाओं के लिए जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

(घ) हाल ही में, पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंपों की स्थापना के लिए सब्सिडी राशि में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

(ङ) पीएम कुसुम योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा योजना का कार्यान्वयन करते समय छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जानी है।

स्टैंडअलोन सौर पंप का आकार, क्षेत्र में जल स्तर, शामिल भूमि और सिंचाई के लिए आवश्यक जल की मात्रा के आधार पर चुना जाता है।

योजना के अंतर्गत सौर पंप स्थापनाओं के लिए अन्य मानदंड अनुलग्नक-**III** में दिए गए हैं।

(च) योजान के अंतर्गत, राज्यों को लक्ष्यों का आवंटन किया जा चुका है। योजना को पूरा करने की तारीख 31 मार्च, 2026 है।

<u>अनुलग्नक-I</u>

'पीएम-कुसुम के तहत लगाए गए सौर पंप' के संबंध में पूछे गए दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 346 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

<u>पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत प्रगति (दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार)</u>

क्र.सं.	राज्य का नाम	घटक-ख (सं.)		पूरा किए गए लक्ष्यों की प्रतिशतता
		स्वीकृत	स्थापित	
1	अरुणाचल प्रदेश	700	394	56
2	असम	4000	0	0
3	छत्तीसगढ़	10000	0	0
4	बिहार	0	0	लागू नहीं
5	गुजरात	12382	7670	62
6	गोवा	900	80	9
7	हरियाणा	197655	136572	69
8	हिमाचल प्रदेश	1270	663	52
9	जम्मू और कश्मीर	5000	1868	37
10	झारखंड	42985	21522	50
11	कर्नाटक	41360	1387	3
12	केरल	8	8	100
13	लद्दाख	1400	0	0
14	मध्य प्रदेश	59400	7325	12
15	महाराष्ट्र	505000	197863	39
16	मणिपुर	150	78	52
17	मेघालय	3035	96	3
18	मिजोरम	1700	40	2
19	नागालैंड	265	65	25
20	ओडिशा	16441	5470	33
21	पुडुचेरी	0	0	लागू नहीं
22	पंजाब	53000	12952	24
23	राजस्थान	212914	85635	40
24	तमिलनाडु	5200	3815	73
25	तेलंगाना	0	0	लागू नहीं
26	त्रिपुरा	10895	3496	32
27	उत्तर प्रदेश	110948	53182	48
28	उत्तराखंड	5685	318	6
29	पश्चिम बंगाल	0	0	लागू नहीं
30	अंडमान और निकोबार	34	0	0
	कुल	1302327	540499	42

<u>अनुलग्नक-II</u>

'पीएम-कुसुम के तहत लगाए गए सौर पंप' के संबंध में पूछे गए दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 346 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

<u>पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधि का ब्यौरा (दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार)</u>

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर पंप स्थापना के लिए घटक-ख के अंतर्गत जारी निधि (करोड़ रु. में)
आन्ध्र प्रदेश	0
अरुणाचल प्रदेश	2.94
असम	0
छत्तीसगढ़	0
बिहार	0
गुजरात	45.64
गोवा	0
हरियाणा	883.52
हिमाचल प्रदेश	11.78
जम्मू और कश्मीर	15.69
झारखंड	88.06
कर्नाटक	84.89
केरल	0.07
लद्दाख	0
मध्य प्रदेश	71.87
महाराष्ट्र	1329.22
मणिपुर	0.75
मेघालय	0.59
मिजोरम	0
नागालैंड	0.55
ओडिशा	4.21
पुडुचेरी	0
पंजाब	81.58
राजस्थान	821.58
तमिलनाडु	34.22
तेलंगाना	0
त्रिपुरा	27.73
उत्तर प्रदेश	228.55
उत्तराखंड	15.17
पश्चिम बंगाल	0
कुल	3748.61

अनुलग्नक-**III**

'पीएम-कुसुम के तहत लगाए गए सौर पंप' के संबंध में पूछे गए दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 346 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**III**

पीएम-कुसुम योजना के घटक, लक्ष्य और मानदंड

<table>
<tr><th>घटक, लक्ष्य और मानदंड</th><th>उपलब्ध वित्तीय सहायता</th></tr>
<tr><td colspan="2">यह योजना मांग आधारित है तथा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन हेतु देश के सभी किसानों के लिए उपलब्ध है।</td></tr>
<tr><td>घटक-ख: ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में 14 लाख स्टैण्ड-अलोन सौर पंपों की स्थापना।

घटक-ख के अंतर्गत लाभार्थी व्यक्तिगत किसान, जल उपयोगकर्ता संघ, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और समुदाय/क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणालियां हो सकती हैं।</td><td>घटक-ख के लिए:
• एमएनआरई द्वारा जारी बेंचमार्क लागत या निविदा में प्राप्त प्रणाली की लागत, जो भी कम हो, के लिए 30 प्रतिशत की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। तथापि, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में एमएनआरई द्वारा जारी बेंचमार्क लागत या निविदा में प्राप्त प्रणाली की लागत, जो भी कम हो, के लिए 50 प्रतिशत की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है।

• इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कम से कम 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। शेष लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी।

• पीएम कुसुम के घटक-ख को राज्य की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30 प्रतिशत बनी रहेगी और शेष 70 प्रतिशत किसान द्वारा वहन किया जाएगा।</td></tr>
</table>

*****